

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
<p>3/8/23</p>	<p align="center">न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p align="center">राँची एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद सं०- 06/2005</p> <p align="center">सीताराम लोहरा एवं अन्य बनाम् किरण महतो एवं अन्य आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। यह एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद आवेदक बुधराम लोहरा स्व० ठेपा लोहरा, निवासी मौजा बारीडीह थाना-तमाड़, जिला-खूँटी द्वारा अपर समाहर्ता, खूँटी के दिनांक-20.09.2004 को एस०ए०आर० अपील नं०-212R15/02-03 एवं एस.ए.आर. अपील नं०-195R15/02-03 में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। आवेदक के मृत्यु के पश्चात् सीताराम लोहरा एवं अन्य प्रतिस्थानी नियुक्त किये गये।</p> <p>प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अनुपस्थित रहे। इस वाद में सरकारी विद्वान अधिवक्ता का मंतव्य लिया गया है इन्होंने भी वाद खारिज करने का अनुशंसा किया है।</p> <p>प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य का अवलोकन किया गया। इस वाद में आवेदक कई तिथियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें वाद की सुनवाई में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः CPC का आदेश 9 नियम 8 के तहत पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित। प्रमण्डलीय आयुक्त।</p> <p align="right">प्रमण्डलीय आयुक्त।</p>	

3/8/23